न्यायालय नायब तहसीलदार मीलवा..... (नागौर) राजस्थान

प्राथी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का झालरा.....

बनाम

अप्रार्थी :– श्री नारायण/कृपाराम जाट निवासी सत्योर अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण सख्या ...31.../2018

निर्णय

दिनाक 27.06.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का झालरा ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.सी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत 2075 में ...... के खसरा नम्बर 302 मी. किस्म गै.मु. गोचर मे रकबा 0.0025 हे./बीघा भूमि में गोबर ...... लगा कर अतिकमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ...—...... से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ......—......ने दिनांक ......—...... को उपस्थित होकर ......—...... प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया : अप्रार्थी का मौजा सत्योर के खसरा नम्बर 302 किस्म गै.मु. गोचर... में रकबा 0.0025 हे. वाली की भूमि पर अतिकमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिकमित भूमि पर किये गये अतिकमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 8 रूपये प्रति हे. की दर से अतिकमित रकबा 0.0025 हे. भूमि के 0.02 रूपये लगान का ...... 1.00 ....../– अक्षरे ...एक...... रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को माग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनाँक 27.6.18 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

नायब तहसीलदार मीलवा